पत्रांकः—14 / अमृत—01—07 / 2026 / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अपर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा मे,

प्रबंध निदेशक,
बुडको।

पटना, दिनांक ....

विषयः— **केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT-2.0) अंतर्गत नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत जे०पी० उद्यान पार्क परियोजना हेतु लागत राशि ₹1250.00 लाख (बारह करोड़ पचास लाख रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना की समाप्ति के पश्चात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन—2.0 (AMRUT-2.0) योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के नगर निकायों में जल संरक्षण, जल स्रोतो का पुनरूद्धार, पुनर्चक्रण, पेय जलापूर्ति एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण का कार्यान्वयन एवं हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि किया जाना है तथा इसके साथ ही राज्य के पुराने अमृत शहर में सिवरेज / सेप्टेज कनेक्शन सुलभ किया जाना है। इस योजना (AMRUT-2.0) के क्रियान्वयन हेतु परियोजना निधि (जनसंख्या के आधार पर 10 लाख से ऊपर तक) से केन्द्रांश तथा इसके अनुपातिक राज्यांश की राशि से किया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—10733, दिनांक—05.10.2025 द्वारा नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत लोकनायक जयप्रकाश नारायण पार्क का निर्माण हेतु राशि कुल रू० 1247.41550 लाख (बारह करोड़ सैंतालीस लाख एकतालीस हजार पाँच सौ पचास रू०) मात्र प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

3. विदित हो कि विभागीय पत्रांक—9228, दिनांक—25.08.2025 द्वारा समाहर्त्ता, पटना से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के समाधि स्थल के निर्माण हेतु जे०पी० गंगा पथ एवं देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान (वेस्ट टू वंडर थीम पार्क) के बीच 04 एकड़ भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त तथा सरकारी भूमि के स्वामित्व के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में समाहर्त्ता, पटना के पत्रांक—4929, दिनांक—19.09.2025 द्वारा 170.57 डी० भूमि की विवरणी उपलब्ध कराने हेतु अनापत्ति संसूचित की गई, भूमि की विवरणी निम्नवत् हैः—

मौजा / थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	प्रस्तावित रकबा	स्वरूप	चौहद्दी
दूजरा दियरा / 138	——	असर्वेक्षित	170.57 डी०	परती	उ०— जे०पी० गंगा पथ द०— सिवान दूजरा महाल पु०— प्रस्तावित सड़क प०— डॉ० राजेन्द्र प्रसाद समाधि स्थल

उक्त स्थल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

4. Apex समिति, भारत सरकार द्वारा अमृत 2.0 (Tranche-2) योजना अंतर्गत कुल 16 परियोजनाओं का चयन किया गया है, जिसमें नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत जे०पी० उद्यान पार्क योजना जिसकी प्राक्कलित राशि ₹1250.00 लाख (बारह करोड़ पचास लाख रू०) शामिल है। अतएव Apex समिति, भारत सरकार के आलोक में पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या–10733, दिनांक–05.10.2025 को निरस्त करते हुये वर्णित योजना को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन–2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है।

5. उक्त के आलोक में अमृत–2.0 योजनान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ–02 में अंकित परियोजना के लिए स्तम्भ–04 में अंकित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	**परियोजना का नाम**	**प्राक्कलित राशि**	**प्रशासनिक स्वीकृत की राशि**	**केन्द्रांश की राशि**	**केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
01	जे०पी० उद्यान पार्क परियोजना निर्माण कार्य।	1250.00 (₹125.00 लाख O&M सहित)	1250.00 (₹125.00 लाख O&M सहित)	281.25	968.75 (O&M सहित)
	कुल राशि	**₹1250.00**	**₹1250.00**	**₹281.25**	**₹968.75**

(बारह करोड़ पचास लाख रू०)

6. उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

i. योजना का कार्यान्वयन कार्यकारी एजेंसी बुडको द्वारा कराया जायेगा।
ii. योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।
iii. योजना का कार्यान्वयन चिन्हित भूमि का जिला पदाधिकारी से NOC/हस्तांतरण होने के उपरांत किया जाएगा।
iv. जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा परियोजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षक/निर्देशन समय–समय पर किया जायेगा।
v. योजना हेतु कार्य स्थल पर बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिसपर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
vi. यह परियोजना अमृत 2.0 योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यान्वित की जायेगी।
vii. नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना तथा प्रबंध निदेशक, बुडको आश्वस्त हो लेंगे कि योजना की डुप्लीकेसी किसी स्तर पर ना हो।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राशि के आवंटन हेतु अलग से राज्यादेश/आदेश निर्गत किया जायेगा।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

अपर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–14/अमृत–01–07/2026 2223 /न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक–12.06.26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, बुडा/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02 एवं प्रशाखा 06, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/6/2026

अपर सचिव।